

Case No.118A /2016

Filling no,234503005502015

न्यायालय:-श्रीष कौलाश शुक्ल, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 बैहर,
जिला बालाघाट म.प्र.

व्य0वाद क्र0-118ए / 2016
संस्थित दिनांक 12.05.2015

श्रीराम पिता लक्ष्मण उम्र-62 वर्ष, जाति कलार,
निवासी ग्राम कुमनगांव तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट (म0प0)।

.....वादी।

विरुद्ध

1. रामेश्वर पिता लक्ष्मण आयु-37 वर्ष, जाति कलार,
निवासी ग्राम कुमनगांव तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट।
2. श्रीमान कलेक्टर महोदय, बालाघाट
3. श्रीमती उषा तिल्लासी पति श्री चैनसिंह तिल्लासी, आयु-53 वर्ष,
जाति कलार, निवासी ग्राम पालडोंगरी वार्ड नं.06 मोहगांव,
तहसील बिरसा जिला बालाघाट।

.....प्रतिवादीगण।

—:: निर्णय ::—

—:: दिनांक 25.02.2017 को घोषित ::—

1. यह वाद वादग्रस्त संपत्ति मौजा कुमनगांव, प.ह.न.7 / 17 तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट स्थित खसरा नंबर 247 / 1 रकबा 1.00 एकड़ भूमि के विषय में वादी के पक्ष में बंटवारा दिनांक 05.07.1993 को प्रभावशील किये जाने एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रकरण में स्वीकृत है कि वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 सगे भाई हैं। यह स्वीकृत है कि तहसीलदार परसवाड़ा ने दिनांक 31.03.2015 को बंटवारा आदेश पारित किया था।

3. वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 आपस में सगे भाई हैं। वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 के पिता के नाम पर खसरा नंबर 149 रकबा 1.578, 176/1 रकबा 0.036 हे0, 217/1 रकबा 1.080, 253 रकबा 0.437, 155 रकबा 0.117, 87 रकबा 0.565, 10 रकबा 0.348, 22/3 रकबा 0.579 एवं 80 रकबा 0.462 भूमि ग्राम कुमनगांव, प.ह.न.7/17 तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट में स्थित भूमि थी। उपरोक्त भूमि कृषि भूमि है और कुछ खेतों में वृक्ष लगे हुये हैं। वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 के पिता लक्ष्मण की मृत्यु वर्ष 2006 में हो गई है। वादी की माँ तुलावतीबाई की मृत्यु वर्ष 1975 में हुई थी, तब प्रतिवादी क्रमांक 01 की आयु डेढ़ माह थी और वादी तथा उसकी पत्नी ने प्रतिवादी क्रमांक 01 का पालन-पोषण किया है। वादी के पिता ने अपनी इच्छा से एवं परिवार की परिस्थितियों को विचार कर 10/- रुपये के स्टाम्प पर अपनी खानदानी संपत्ति का लिखित बंटवारा किया था। वादी के पिता ने अपने जीवनकाल में दिनांक 05.07.1993 को उपरोक्त भूमि का बंटवारा किया और वादी को $6.49^{1/2}$ तथा प्रतिवादी को $5.45^{1/2}$ भूमि गवाह चरनलाल साव, गोकूल तिलासी, रामभरोसे, गेंदलाल, धनीराम पटेल, मुन्नीलाल तिल्लासी, विष्णु बाहेश्वर के समक्ष लिखित बंटवारा पत्र बनवाकर उपरोक्त भूमि का बंटवारा किया था।

4. वादी को खसरा नंबर 247/1 रकबा 1.00 एकड़ भूमि वादी के पिता ने अधिक दी थी। प्रतिवादी क्रमांक 01 ने तहसीलदार परसवाड़ा के न्यायालय में बंटवारा का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें राजस्व प्रकरण क्रमांक 2अ-27/2014-15 संस्थित किया जाकर दिनांक 31.03.2015 को तहसीलदार परसवाड़ा ने बंटवारा आदेश पारित किया। वादी के पिता ने अपने मरने से पूर्व बंटवारा किया था, इसलिये वह बंटवारा अंतिम बंटवारा माना जाना चाहिये और तहसीलदार परसवाड़ा को इसमें बदलाव करने का अधिकार नहीं है। उपरोक्त स्थिति में वादी के पिता द्वारा लेख बंटवारा दिनांक 05.07.1993 के अनुसार खसरा नंबर 247/1 रकबा 01 एकड़ वादी के पक्ष में घोषित किये जाने की आज्ञाप्ति

पारित की जावे। प्रतिवादी को खेतों पर लगे पुराने वृक्षों को काटने से निषेधित किया जावे।

5. स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त शेष अभिवचनों का प्रात्याख्यान कर अपने जवाब में प्रतिवादी क्रमांक 01 ने यह कहा है कि वादग्रस्त भूमि जिसका उल्लेख वादी ने वादपत्र में किया है, पैतृक भूमि नहीं है। यह भूमि वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 की माँ तुलावतीबाई की थी, जो तुलावतीबाई को उसके पिता चरणलाल द्वारा दी गई थी, इसलिये वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 का वादग्रस्त भूमि पर बराबर का हिस्सा है। प्रतिवादी क्रमांक 01 ने तहसीलदार परसवाड़ा के समक्ष बंटवारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, जिस पर राजस्व प्रकरण क्रमांक 2अ-27 / वर्ष 2014-15 संस्थित किया गया था और दिनांक 31.03.2015 को बंटवारा आदेश पारित किया गया। प्रतिवादी क्रमांक 01 की बाल्यावस्था में श्रीमती तुलावतीबाई की मृत्यु हो गई थी। वादी, प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं उनके पिता लक्ष्मण संयुक्त परिवार में निवास करते थे और वादग्रस्त भूमि पर खेती कर लाभ अर्जित करते थे।

6. प्रतिवादी क्रमांक 01 की नाबालिग अवस्था में वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 के पिता लक्ष्मण को वादग्रस्त भूमि विक्रय करने का तथा बंटवारा करने का कोई अधिकार नहीं था, फिर भी प्रतिवादी क्रमांक 01 के पिता लक्ष्मण एवं वादी ने खसरा नंबर 176 की रकबा 3.90 एकड़ भूमि विक्रय की थी। वादी द्वारा अपने पिता के अनपढ़ होने तथा प्रतिवादी क्रमांक 01 के नाबालिग होने का फायदा उठाकर प्रतिवादी क्रमांक 01 के अधिकार को नष्ट करने के उद्देश्य से भूमि विक्रय की गई थी। वादी ने प्रतिवादी क्रमांक 01 व उसके पिता लक्ष्मण से विवाद कर उसे परिवार से अलग कर दिया और वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 के पिता लक्ष्मण की मृत्यु होने पर दाह-संस्कार एवं क्रिया-कर्म का कार्य भी प्रतिवादी क्रमांक 01 के द्वारा किया गया। वादी ने जिस बंटवारा पत्र का उल्लेख वाद पत्र

में किया है, उसमें वादी की माँ तुलावतीबाई की मृत्यु वर्ष 1975 में हो जाने का कथन किया है परन्तु प्रतिवादी क्रमांक 01 का जन्म वर्ष 1976 को हुआ था। वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 की माँ तुलावतीबाई को उसके पिता चरणलाल द्वारा दी गई थी, इसलिये वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 के पिता लक्ष्मण को इसका बंटवारा करने का कोई अधिकार नहीं था, इसलिये बंटवारा पत्र दिनांक 05.07.1993 प्रतिवादी क्रमांक 01 पर बंधनकारी नहीं है। तहसीलदार परसवाड़ा द्वारा उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देकर विधि अनुसार बंटवारा आदेश पारित किया गया है। वादी अगर इस बंटवारा आदेश से संतुष्ट नहीं है तो उसके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बैहर के समक्ष अपील प्रस्तुत करना था, परन्तु उसके द्वारा यह दावा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। तहसीलदार परसवाड़ा द्वारा पारित आदेश के अनुसार प्रतिवादी क्रमांक 01 अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है। प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा भूमि पर खड़े वृक्षों को काटने का प्रयास नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में वादी का दावा निरस्त किया जावे।

7. न्यायालय द्वारा प्रकरण में निम्नलिखित विचारणीय प्रश्नों की विरचना की गई है, जिनके सम्मुख मेरे निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:-

क्रमांक	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या वादी के पिता के द्वारा बंटवारा पत्र दिनांक 05.07.1993 के माध्यम से ग्राम कुमनगांव प.ह.नं. 7/17 स्थित खसरा नंबर 247/1 रकबा 1.00 एकड़ भूमि वादी को प्राप्त हुई?	अप्रमाणित
2.	क्या उक्त विवादित भूमि को वादी के पक्ष में उसके पिता को बंटवारे में प्रदान करने का अधिकार था ?	अप्रमाणित

3.	क्या प्रतिवादी क्रमांक 01 के द्वारा वादी के आधिपत्य वाली भूमि में खड़े पुराने वृक्षों को अवैध रूप से काटा जा रहा है ?	अप्रमाणित
4.	सहायता एवं खर्च ?	दावा निरस्त कंडिका 20 अनुसार

वादप्रश्न क्रमांक 01 एवं 02 का निष्कर्ष:-

8. इन दोनों वादप्रश्नों को सिद्ध करने का भार वादी पर है। वादी श्रीराम वा.सा.01 ने अपने शपथ-पत्रीय साक्ष्य में यह कहा है कि वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 सगे भाई हैं। वादग्रस्त भूमि का बंटवारा दिनांक 05.07.1993 को गवाहों के समक्ष हो गया था। बंटवारा के समय धनीराम पिता भेजराम बोरीकर, मुन्नीलाल पिता मिहीलाल तिल्लासी तथा, विसनु पिता सुखमन आदि गांव के लोग उपस्थित थे। वादी के पिता लक्ष्मण ने खसरा नंबर 247/1 रकबा 1.00 एकड़ भूमि को अलग से वादी को दिया था और शेष भूमि को वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 के बीच आधा-आधा बांट दिया था। वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 बंटवारे के पश्चात प्राप्त भूमि पर शांतिपूर्वक कृषि कार्य करते थे। प्रतिवादी क्रमांक 01 ने तहसीलदार के न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और दिनांक 05.07.1993 को हुये बंटवारे को तहसीलदार द्वारा निरस्त किया गया। वादी के कथनों का समर्थन वादी साक्षी मुन्नीलाल वा.सा.02 ने किया है और कहा है कि वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 के पिता लक्ष्मण ने वर्ष 1993 में वादग्रस्त भूमि का बंटवारा किया था और खसरा नंबर 247/1 रकबा 1.00 एकड़ भूमि वादी को अधिक दी थी। इस बाबद् लिखा-पढ़ी 10/- रुपये के स्टाम्प पर हुई थी और जिसमें लक्ष्मण ने अंगुठा लगाया था और उसने भी इस लिखा-पढ़ी में हस्ताक्षर किये थे। वादी साक्षी बिसनू वा.सा.03 ने भी उपरोक्त वादी साक्षी के कथनों का समर्थन अपने शपथ पत्र में किया है और कहा है कि प्रतिवादी रामेश्वर का लालन-पालन

वादी तथा उसकी पत्नी ने किया था, इसलिये वादी के पिता ने वादी को खसरा नंबर 247/1 रकबा 1.00 एकड़ भूमि अधिक सरकारी कुआ के तरफ बंटवारे में दी थी, जिसकी वर्ष 1993 में लिखा-पढ़ी हुई थी। वादी श्रीराम वा.सा.01 ने अपने कथनों के समर्थन में उसके पिता लक्ष्मण का मृत्यु प्रमाण पत्र प्र.पी.01 अभिलेख पर प्रस्तुत किया है। प्र.पी.01 में यह लेख है कि लक्ष्मण की मृत्यु दिनांक 27.07.2006 को हुई थी। वादी एवं प्रतिवादी रामेश्वर की माँ तुलावतीबाई की मृत्यु दिनांक 13.09.1975 को हुई थी, यह बात मृत्यु प्रमाण पत्र प्र.पी.02 से दर्शित है। प्रतिवादी रामेश्वर का जन्म वर्ष 1975 में हुआ था, यह बात जन्म प्रमाण पत्र प्र.पी.03 से दर्शित है। वादी श्रीराम वा.सा.01 ने बंटवारा पत्र वर्ष 1993 अभिलेख पर प्रस्तुत किया है, जिसमें इस बात का उल्लेख है कि लक्ष्मण पिता अमरसिंह ने वादग्रस्त भूमि का दिनांक 05.07.1993 को बंटवारा किया था। बंटवारा पत्र प्र.पी.04 में यह लेख है कि खसरा नंबर 247/1 रकबा 1.00 एकड़ की जमीन सरकारी कुआ के तरफ वादी श्रीराम को अधिक दी जा रही है। बंटवारा पत्र प्र.पी.04 की कंडिका क्रमांक 06 में शेष रकबा $6.49^{1/2}$ वादी को तथा प्रतिवादी को $5.45^{1/2}$ एकड़ की विभिन्न खसरे नंबर की भूमि बंटवारे अनुसार दिया जाना दर्शित है। उल्लेखनीय है कि बंटवारा पत्र प्र.पी.04 पर गवाह के तौर पर मुन्नीलाल वा.सा.02 तथा बिसनू वा.सा.03 ने हस्ताक्षर किये थे और अपने न्यायालयीन परीक्षण में भी उन्होंने उपरोक्त बंटवारा पत्र निष्पादित किया जाना स्वीकार किया है।

9. वादी ने तहसीलदार परसवाड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.03.2015 अभिलेख पर प्रस्तुत किया है, यह दस्तावेज प्र.पी.05 है। न्यायालय तहसीलदार परसवाड़ा ने आदेश दिनांक 31.03.2015 में आवेदक रामेश्वर पिता लक्ष्मण के आवेदन पत्र पर सुनवाई की जाकर मौजा कुमनगांव में स्थित भूमि खसरा नंबर 149 रकबा 1.578, खसरा नंबर 176/1 रकबा 0.036, खसरा नंबर 247/1 रकबा 1.083, खसरा नंबर 253 रकबा 0.437, खसरा नंबर 255 रकबा 0.117, खसरा नंबर 287 रकबा 0.565 एवं खसरा नंबर 290 रकबा 0.348 एवं ग्राम

कातलबोड़ी में स्थित भूमि खसरा नंबर 22/3/क रकबा 0.579, खसरा नंबर 80 रकबा 0.462 एकड़ कुल 06 खसरे की 2.228 हेक्टेयर भूमि वादी श्रीराम पिता लक्ष्मण के पक्ष में बंटवारा आदेश पारित किया था। प्र.पी.05 में प्रतिवादी रामेश्वर को मौजा कुमनगांव की खसरा नंबर 149 में से रकबा 0.574, 176/1 में से रकबा 0.018, 247/1 में से रकबा 0.541, 255 में से रकबा 0.056, 287 में से रकबा 0.566 एवं 290 में से रकबा 0.174 कुल खसरा 6 रकबा 1.929 एवं मौजा कातलबोड़ी में खसरा नंबर 22/3/क रकबा 0.295 एवं खसरा नंबर 80 में से रकबा 0.231 कुल खसरा 8 कुल रकबा 2.455 की भूमि दी गई थी। प्र.पी.05 बंटवारा आदेश में इस बात का उल्लेख है कि आवेदक रामेश्वर एवं सहखातेदार श्रीराम के कथन अंकित किये गये। प्र.पी.05 के आदेश से यह दर्शित है कि उपरोक्त आदेश पारित किये जाते समय उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर दिया गया था। वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्र.पी.06 लगायत प्र.पी.11 दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किये गये हैं। यह दस्तावेज खसरा फार्म पी-2 वर्ष 2012-13 प्र.पी.06, प्र.पी.07 एवं प्र.पी.08 है। खसरा फार्म पी-2 वर्ष 2014-15 प्र.पी.09, प्र.पी.10 एवं प्र.पी.11 दस्तावेज है। उपरोक्त दस्तावेजों में वादी एवं प्रतिवादी रामेश्वर के नाम पर राजस्व अभिलेखों में उपरोक्त भूमि दर्ज होना दर्शित है। प्रतिवादी रामेश्वर ने दिनांक 04.03.2015 को खसरा नंबर 290/2 में से रकबा 0.10/0.040 हे० की भूमि का विक्रय श्रीमती उषादेवी तिल्लासी पति नैनसिंह तिल्लासी को किया है, इसे सिद्ध करने के लिये विक्रय पत्र दिनांक 04.03.2015 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.12 अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

10. वादी श्रीराम वा.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वादपत्र में वादग्रस्त भूमि उसकी माँ तुलावतीबाई की संपत्ति थी, जो उसकी माँ को उसके पिता चरणलाल द्वारा दी गई थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि वर्ष 1990 में खसरा नंबर 176 रकबा 3.90 एकड़ भूमि का विक्रय उसने किया था और तत्कालीन समय में प्रतिवादी रामेश्वर नाबालिग था। साक्षी ने यह भी

स्वीकार किया है कि उसके पिता लक्ष्मण प्रतिवादी रामेश्वर के साथ अपने जीवनकाल में रहते थे। साक्षी ने स्वीकार किया है कि जब बंटवारा पत्र निष्पादित हुआ था, तब प्रतिवादी रामेश्वर नाबालिग था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि बंटवारे के समय वह तहसीलदार परसवाड़ा के समक्ष उपस्थित हुआ था और यह भी स्वीकार किया है कि उसने बंटवारा आदेश के विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की है। वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी की माँ तुलावतीबाई की संपत्ति थी, यह बात वादी साक्षी मुन्नीलाल वा.सा.02 एवं वादी साक्षी बिसनू वा.सा.03 ने स्वीकार की है। वादी साक्षी धनीराम वा.सा.04 ने अपने प्रतिपरीक्षण में प्र.पी.04 बंटवारा पत्र का निष्पादन स्वीकार किया है।

11. प्रतिवादी रामेश्वर प्र.सा.02 ने अपने शपथ पत्र में यह कहा है कि वादी ने झूठा बंटवारा पत्र प्रकरण में प्रस्तुत किया है, जिसमें खसरा क्रमांक 247/1 रकबा 1.00 एकड़ भूमि उसे बंटवारे में अलग से अधिक दी गई थी। खसरा क्रमांक 149, 167/1, 247/1, 253, 255, 287, 290, 22/3क, 80 रकबा कुल 4.921 हेक्टेयर की भूमि वादी श्रीराम एवं प्रतिवादी रामेश्वर की माँ तुलावतीबाई की संपत्ति थी, जो उसके पिता चरणलाल द्वारा दी गई थी, इसलिये वादी एवं प्रतिवादी रामेश्वर का वादग्रस्त संपत्ति पर आधा-आधा अधिकार है। वादी एवं प्रतिवादी के पिता लक्ष्मण द्वारा कोई बंटवारा पत्र निष्पादित नहीं किया गया था और यदि किया भी गया हो तो वह उस पर बंधनकारी नहीं है। प्रतिवादी क्रमांक 01 के नाबालिग अवस्था में वादी तथा उसके पिता लक्ष्मण ने खसरा नंबर 3.90 एकड़ भूमि वर्ष 1990 में विक्रय की थी। वादी ने पैतृक मकान पर भी कब्जा कर लिया और प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं उसके पिता को अलग कर दिया था।

12. अपने कथनों के समर्थन में प्रतिवादी रामेश्वर प्र.सा.02 ने अंकसूची प्र.डी.01, अधिकार अभिलेख प्र.डी.02 एवं बिक्रीनामा दिनांक 10.04.1990 प्र.डी.03 दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किया है। प्र.डी.01 अंकसूची के अनुसार रामेश्वर

पिता लक्ष्मणलाल की जन्म तिथि 01.06.1976 सभागीय पूर्व माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र सन् 1991 में लेख होना दर्शित है। उल्लेखनीय है कि वादी की ओर से प्रतिवादी रामेश्वर का जन्म प्रमाण पत्र प्र.पी.03 अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रतिवादी रामेश्वर की जन्म तिथि 01.06.1975 होना दर्शित है। वादग्रस्त भूमि वर्ष 1962 में तुलावतीबाई पति लक्ष्मण के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज थी, इसे सिद्ध करने के लिये अधिकार अभिलेख प्र.पी.02 प्रतिवादी रामेश्वर द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रतिपरीक्षण में प्रतिवादी रामेश्वर प्र.सा.02 ने कहा है कि जब उसकी माँ तुलावतीबाई की मृत्यु हुई थी, तब वह दो-तीन माह का था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसकी देखभाल उसके पिता, उसके बड़े भाई एवं उसके बड़े भाई की पत्नी सोनबाई करते थे। उसकी माँ तुलावतीबाई के नाम ग्राम कुमनगांव खुरसीटोला में जमीन थी। यह स्वीकार है कि उसकी माँ के साथ उसके पिता, उसके बड़े भाई सभी मिलकर खेती-बाड़ी करते थे। यह स्वीकार है कि उसकी माँ की मृत्यु के पश्चात उसके माँ के नाम की जमीन उसके पिता के कब्जे में आई। यह स्वीकार है कि उसके पिता उक्त भूमि पर खेती करते थे तथा फसल का उपभोग करते थे। साक्षी ने स्वीकार किया है कि बंटवारा के समय वह उपस्थित था। यह स्वीकार किया है कि उक्त बंटवारे को उसने स्वीकार किया था तथा उसके पिता ने भी स्वीकार किया था। यह स्वीकार है कि उक्त बंटवारे के पश्चात वह भूमि पर खेती करने लगा था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसके भाई (वादी) ने जमीन की हेरा-फेरी की थी उसके संबंध में उसने कोई भी वाद किसी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है। साक्षी ने कहा है कि बंटवारा पत्र दिनांक 05.07.1993 प्र.पी.04 पर उसके पिता का अंगुठा है। साक्षी ने प्रतिपक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि मौके पर खड़े होकर उसके पिता ने उसके भाई को एक एकड़ भूमि बंटवारे में अधिक दी थी। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका क्रमांक 15 यह कहा है कि यदि उसके पिता ने प्रेमवश प्र.पी.04 का बंटवारा पत्र बनाकर दिया हो तो उसे जानकारी नहीं है।

13. प्रतिवादी साक्षी इन्द्रप्रसाद प्र.सा.01 ने अपने शपथ पत्र में यह कहा है कि वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 आपस में सगे भाई हैं और वादी श्रीराम ने अपने पिता के अनपढ़ होने का फायदा उठाकर झूठा बंटवारा पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें खसरा नंबर 247/1 रकबा 1.00 एकड़ भूमि के संबंध में दावा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। वादी श्रीराम को अलग से बंटवारे में 1.00 एकड़ भूमि नहीं दी गई थी। प्रतिवादी साक्षी इन्द्रप्रसाद प्र.सा.01 ने यह कहा है कि वादग्रस्त भूमि खानदानी भूमि नहीं है। उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 की माँ तुलावतीबाई को उसके पिता चरनलाल द्वारा दी गई थी। वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 के पिता लक्ष्मण द्वारा कभी कोई बंटवारा पत्र निष्पादित नहीं किया गया है। प्रतिपरीक्षण में प्रतिवादी साक्षी इन्द्रप्रसाद प्र.सा.01 ने यह कहा है कि दिनांक 05.07.1993 को लक्ष्मण ने उसे बुलाया था पर वह नहीं गया था। साक्षी ने कहा है कि उसने यह नहीं सुना था कि बंटवारे में लक्ष्मण ने श्रीराम को 1.00 एकड़ भूमि अधिक देने के विषय में लिखा-पढ़ी की थी।

14. प्रतिवादी रामेश्वर प्र.सा.02 के उपरोक्त कथनों का समर्थन प्रतिवादी साक्षी शिवनारायण प्र.सा.03 ने अपने शपथ पत्र में किया है और कहा है कि प्रतिवादी क्रमांक 01 के पिता ने कभी कोई बंटवारा पत्र निष्पादित नहीं किया था और न ही उसे इस संबंध में कोई जानकारी है। प्रतिवादी साक्षी शिवनारायण प्र.सा.03 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वादग्रस्त संपत्ति वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 की माँ तुलावतीबाई को उसके पिता चरणलाल द्वारा दी गई थी। उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी साक्षी शिवनारायण प्र.सा.03 चरणलाल का पुत्र है और वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 की माँ स्व० तुलावतीबाई का भाई है। साक्षी ने इस बात की जानकारी न होना व्यक्त किया कि दिनांक 05.07.1993 को दोनों भाईयों के बीच बंटवारे को लेकर लिखा-पढ़ी हुई थी या नहीं। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि वादी श्रीराम एवं प्रतिवादी रामेश्वर अलग-अलग खेती करते हैं। साक्षी ने यह कहा है कि उसके मतानुसार बंटवारा

पत्र प्र.पी.04 में उसके पिता चरणलाल के हस्ताक्षर नहीं हैं। वादी पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया है कि वह प्रतिवादी रामेश्वर के पक्ष में है, इसलिये न्यायालय में झूठी गवाही दे रहा है।

15. प्रकरण में वादी पक्ष के एवं प्रतिवादी पक्ष के साक्षीगण द्वारा यह कहा गया है कि वादी श्रीराम एवं प्रतिवादी रामेश्वर को प्राप्त भूमि उनकी माँ स्व० तुलावतीबाई के स्वत्व की संपत्ति थी। तुलावतीबाई की मृत्यु वर्ष 1975 में हुई थी, यह बात प्र.पी.02 दस्तावेज से दर्शित है। इस संबंध में यदि हिन्दू विधि पर विचार किया जावे तो किसी महिला को उसके पिता द्वारा दी गई संपत्ति उसके एकल स्वामित्व की संपत्ति होती है और उसकी मृत्यु के पश्चात उसके प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों के बीच विभक्त होती है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा-15 के अनुसार General rules of succession in the case of female Hindus-(1) The property of a female Hindu dying intestate shall devolve according to the rules set out in section 16-

- (a) firstly, upon the sons and the daughters (including the children or any pre-deceased son or daughter) and the husband;
 - (b) secondly, upon the heirs of the husband;
 - (c) thirdly, upon the mother and father;
 - (d) fourthly, upon the heirs of the father; and
 - (e) lastly, upon the heirs of the mother.
- वर्ष 1975 में जब श्रीमती तुलावतीबाई की मृत्यु हुई थी, तब वादग्रस्त संपत्ति उसके स्वत्व की संपत्ति थी और उसकी मृत्यु के पश्चात उसके प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों के मध्य बराबर भाग में विभक्त होना चाहिये थी, जो सर्वप्रथम उसका पति लक्ष्मण, तत्पश्चात उसका बड़े पुत्र श्रीराम एवं उसके पश्चात छोटा पुत्र रामेश्वर था। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि के तीन बराबर हिस्से किये जाने चाहिये थे। वस्तुतः श्रीमती तुलावतीबाई की मृत्यु के पश्चात उसकी संपूर्ण संपत्ति का स्वामी उसका पति लक्ष्मण विधि अनुसार नहीं था, इसलिये यदि वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 के

पिता लक्ष्मण ने वर्ष 1993 में संपूर्ण संपत्ति का बंटवारा किया था, जो कि पूर्व में श्रीमती तुलावतीबाई के स्वत्व की संपत्ति थी, तो वह विधि अनुकूल नहीं है और तुलावतीबाई के निर्वसीयती मरने के पश्चात उसके पति लक्ष्मण को संपूर्ण वादग्रस्त संपत्ति का बंटवारा करने का विधि अनुसार अधिकार नहीं था। अधिक से अधिक वादी श्रीराम एवं प्रतिवादी रामेश्वर का पिता लक्ष्मण वादग्रस्त भूमि में से तुलावतीबाई की मृत्यु के पश्चात उसके हिस्से की भूमि के विषय में बंटवारा, दान, विक्रय करने के लिये स्वतंत्र था, परन्तु प्र.पी.04 दस्तावेज के अवलोकन से यह दर्शित है कि लक्ष्मण द्वारा संपूर्ण वादग्रस्त भूमि का बंटवारा अपने दोनों पुत्रों के बीच किया गया था।

16. बंटवारा पत्र प्र.पी.04 अपंजीकृत दस्तावेज है। विधि अनुसार 100/— रुपये से अधिक मूल्य की अचल संपत्ति के विषय में यदि बंटवारा पत्र निष्पादित किया गया हो तो उसका रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य होता है, जबकि प्र.पी.04 दस्तावेज अपंजीकृत दस्तावेज है और इस दस्तावेज के आधार पर वादी श्रीराम को वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 247/1 रकबा 1.00 एकड़ के विषय में हित सृजित नहीं होता। किसी भी दस्तावेज के प्रदर्शित हो जाने से उसकी अन्तरवस्तु प्रमाणित नहीं होती और न ही अन्तरवस्तु के प्रमाणित हुये बगैर पक्षकार को दस्तावेज के आधार पर हित सृजित होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्यायदृष्टांत **सेठ तारा जी खेमचंद व अन्य बनाम येला मर्ती सत्यम व अन्य (ए.आर.आर. 1971 एस.सी.1865)** में यह अवधारित किया है कि "Mere marking of a document as an exhibit does not dispense with the proof of document". वादी ने अपने पक्ष समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश का न्यायदृष्टांत **गुलजारी लाल जैन वि० रविकांत शिरके 2010(3) जे.एल.जे. 16** प्रस्तुत किया है। अपने न्यायदृष्टांत में माननीय उच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि "धारा-17(1)(ख)(ग) तथा 17(2)(v) पूर्वतर मौखिक

विभाजन को अभिस्वीकृत करता हुआ दस्तावेज, इसका विभाजन पर प्रभाव नहीं होता है, मौखिक विभाजन पहले ही हो गया, उक्त दस्तावेज को रजिस्टर किये जाने की आवश्यकता नहीं है।” माननीय उच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि मौखिक विभाजन पहले हो गया हो तो ऐसे बंटवारे के संबंध में दस्तावेज को रजिस्टर किये जाने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकरण में बंटवारा पत्र दिनांक 05.07.1993 के पूर्व कोई मौखिक बंटवारा नहीं होना प्रकट हो रहा है और लिखित बंटवारे पत्र से ही पक्षकारों के मध्य बंटवारा होना दर्शित है, इसलिये माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त न्यायदृष्टांत का लाभ वादी को प्राप्त नहीं होता है।

17. वादी पक्ष द्वारा तहसीलदार परसवाड़ा द्वारा पारित बंटवारा आदेश दिनांक 31.03.2015 जिसे प्र.पी.05 के रूप में अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया है। इस दस्तावेज के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि तहसीलदार परसवाड़ा ने वादी एवं प्रतिवादी के कथन अंकित किये थे और उक्त आदेश पारित करने से पूर्व तहसीलदार परसवाड़ा के ज्ञान में यह बात लाई गई थी कि दोनों भाईयों के बीच पहले ही बंटवारा किया जा चुका है। अपने आदेश में तहसीलदार परसवाड़ा ने यह लेख किया है कि “निष्कर्षतः प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेज, शपथ पूर्वक कथन हल्का पटवारी द्वारा प्रदत्त फर्द बंटवारा के आधार पर आवेदक एवं सह खातेदार के मध्य ग्राम कुमनगांव एवं कातलबोड़ी स्थित भूमि का बंटवारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 178 के तहत निम्नानुसार बंटवारा किया जाता है।” इस प्रकार तहसीलदार परसवाड़ा द्वारा उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देकर एवं विधि पर विचार कर बंटवारा आदेश पारित किया जाना प्रकट हो रहा है।

18. उपरोक्त विवेचना से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि वादग्रस्त भूमि का वादी श्रीराम एवं प्रतिवादी रामेश्वर के पिता लक्ष्मण को बंटवारा करने का

अधिकार नहीं था, इसलिये बंटवारा पत्र दिनांक 05.07.1993 के आधार पर वादी श्रीराम खसरा नंबर 247/1 रकबा 1.00 एकड़ भूमि उसके पक्ष में होने की घोषणा अथवा बंटवारा पत्र दिनांक 05.07.1993 के प्रभावशील होने की घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः वादप्रश्न क्रमांक 01 एवं 02 का निष्कर्ष अप्रमाणित में दिया जाता है।

वादप्रश्न क्रमांक 03 का निष्कर्ष :-

19. वादी ने अपने वादपत्र में यह अभिवचन किया है कि प्रतिवादी रामेश्वर वादी के आधिपत्य की भूमि पर लगे वृक्षों को काटने का प्रयास कर रहा है। वादी साक्षी श्रीराम वा.सा.01, मुन्नीलाल वा.सा.02 एवं बिसनू वा.सा.03 ने अपने शपथ पत्र में उपरोक्त संबंध में कोई भी कथन नहीं किये हैं कि प्रतिवादी रामेश्वर, वादी के आधिपत्य की भूमि पर लगे वृक्षों अथवा वादग्रस्त भूमि पर लगे वृक्षों को काटने का प्रयास कर रहा है। इस संबंध में वादी द्वारा कोई भी मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर भी प्रस्तुत नहीं की गई है, इसलिये यह नहीं माना जा सकता कि प्रतिवादी रामेश्वर वादग्रस्त भूमि पर लगे वृक्षों को काटने का प्रयास कर रहा है। अतः वादप्रश्न क्रमांक 03 का निष्कर्ष अप्रमाणित में दिया जाता है।

सहायता एवं खर्च:-

20. उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादी अपना दावा सिद्ध करने में सफल नहीं रहा है। अतः वादी द्वारा वादग्रस्त संपत्ति मौजा कुमनगांव, प.ह.न. 7/17 तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट स्थित खसरा नंबर 247/1 रकबा 1.00 एकड़ भूमि के विषय में बंटवारा पत्र दिनांक 05.07.1993 को प्रभावशील किये जाने एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष हेतु प्रस्तुत वाद निरस्त किया जाता है एवं निम्न आज्ञा पारित की जाती है:-

1. वादी वादग्रस्त संपत्ति मौजा कुमनगांव, प.ह.न. 7/17 तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट स्थित खसरा नंबर 247/1 रकबा 1.00 एकड़ भूमि के विषय में

Case No.118A /2016

Filling no,234503005502015

बंटवारा पत्र दिनांक 05.07.1993 को प्रभावशील किये जाने एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

2. वादी अपना तथा प्रतिवादी का वादव्यय वहन करेगा।

3. अधिवक्ता शुल्क सूचीनुसार अथवा प्रमाणित होने पर जो भी न्यून हो देय होगा।

तदनुसार आज्ञाप्ति तैयार की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर,
हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

सही/—

(श्रीष कैलाश शुक्ल)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बैहर

सही/—

(श्रीष कैलाश शुक्ल)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बैहर

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)